कोलोनाइजर श्री सरधा राम पिछले पांच वर्षों से व्यक्तियों को गुमराह करके तथा उनके साथ धोखाधड़ी करके स्थानीय पुलिस के थानाध्यक्ष की सांठगांठ से भूखण्डों को बेच कर काला धन एकत्र कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कोलोनाइजर तथा थानाध्यक्ष के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) यह कहना सच नहीं है कि श्री सरधा राम थानाध्यक्ष की सांठगांठ से व्यापार चला रहे हैं।

(ख) दिल्ली पुलिस के अनुसार इस कालोनाइजर के विरुद्ध 11 शिकायतें प्राप्त हुई हैं परन्तु कोई भी शिकायत थानाध्यक्ष के विरुद्ध नहीं है।

(ग) इस सम्बन्ध में, धोखाधड़ी, अनधिकृत प्रवेश इत्यादि के आरोप पर 11 मामले दर्ज किये गये हैं।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, दिल्ली सशस्त्र पुलिस तथा होम गार्ड्स की महिला कार्मिकों के लिये पेंट तथा कमीज पहनने की अनिवार्यता

747. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सी० आर० पी० एफ० डी० ए० पी० और दिल्ली होम गार्ड्स की महिला कार्मिकों को पेंट व कमीज पहनने पर मजबूर किया जा रहा है, जब कि दिल्ली पुलिस में वे ऐसा करने के लिये बाध्य नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं और क्या सरकार इस भेदभाव को समाप्त करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि उपयुक्त भाग (ख) का उत्तर हां हो तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि उत्तर 'ना' हो, तो उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, दिल्ली सशस्त्र पुलिस और दिल्ली होमगार्ड के महिला कार्मिकों को वर्दियां पहननी पड़ती हैं जिनमें खाकी कमीज और पेंट शामिल है। यह वर्दी इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि इससे निर्धारित प्रशिक्षण को पूरा करने और कानून और व्यवस्था की डयूटियां करने में अधिक सुविधा रहती है।

केन्द्रीय पुलिस बल की महिला कांस्टेबल भी वर्दी के एक हिस्से के रूप में टेरीकाटन की साड़ी, एक ब्लाऊज और सूती पेटिकोट के लिए प्राधिकृत है।

दिल्ली पुलिस की महिला कार्मिकों से प्राप्त कुछ अनुरोधों पर यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सशस्त्र पुलिस के उच्च स्तर और निम्न स्तर के महिला पुलिस अधीनस्थ कार्मिक भी यदि वे चाहें तो तो सलवार कमीज पहन सकते हैं।

दिल्ली होमगार्ड के महिला कार्मिक सभी स्वयंसेवी है जिन्होंने अपनी निर्धारित वर्दी स्वीकार की है।